छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–27/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 20/12/2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही।

लोक सूचना अधिकारी के आदेश/विनिश्चिय के विरूद्ध, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा–19 के अन्तर्गत (विभागीय) अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील करने का प्रावधान है।

2/ अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व सम्बंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारी को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

3/ अपील के निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

2/.....

4/ अतः समस्त अपीलीय अधिकारियों की सुविधा हेतु अपील पंजी का प्रारूप अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये आदेश पत्रिका (Orders She के प्रारूप उदाहरण स्वरूप संलग्न हैं। अपीलीय अधिकारीगण अपनी आवश्यकता के अनु इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं।

5/ अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः स्पष्ट/बोलता हुआ एवं तार्किक (Speaking a Well Reasoned) होने संबंधी तथ्य के लिये भी एक काल्पनिक आदेश की प्रति उदाहर के लिये संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार)